न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्र. 78/25 दिनांक 25.09.25

— :: निर्णय :: —

प्रार्थी श्री बिरधीलाल पुत्र/पत्नी श्री रामचन्द ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सागोड़ा पटवार मण्डल दौलोद तहसील छबड़ा जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् 2076 - 79 के खाता संख्या 35 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति चमार अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से बैरवा अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी दौलोद से करवाने पर पटवारी ने जाति चमार के बजाय बैरवा करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में जाति चमार के बजाय बैरवा करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम सागोड़ा के खाता संख्या 35 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति चमार के स्थान पर सम्मानजनक रूप से बैरवा दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करें।

उपखण्ड अधिकारी
(Land Record Officer)
छबड़ा जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)